

संचिका सं०-10/अति०-08-04/2016...../


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश संख्या-544(10), दिनांक-29.08.2016 एवं आवंटनादेश संख्या-06(10)ब, दिनांक-21.09.2016 में अधोलिखित संशोधन किया जाता है:-

2. राज्यादेश की कडिका-8 एवं आवंटनादेश की कडिका-7 में अंकित "राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है" के स्थान पर "प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है " पढ़ा जाय।


3. शेष यथावत रहेंगे ।


(शेखर-चन्द्र बेर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक:-10/अति०-08-04/2016 823(10) /स्वा०, पटना, दिनांक:- 17/11/2016

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, बिस्कोमान भवन, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/सिविल सर्जन, मधुबनी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पंडौल/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7,10/संबंधित सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव ।